रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, मई 13—मई 19, 2012, शनिवार/वैशाख 23—वैशाख 29, 1934

No. 20] NEW DELHI, MAY 13—MAY 19, 2012, SATURDAY/VAISAKHA 23—VAISAKHA 29, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 2012

सा.का.नि. 109.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग संपदा पर्यवेक्षक भर्ती नियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग संपदा पर्यवेक्षक भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **संघ लोक सेवा आयोग संपदा पर्यवेक्षक भर्ती नियम, 2000 में,—**

(i) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.–पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 के अधीन विनिर्दिष्ट है";

(ii) नियम 3 के अधीन शब्द और अंक "स्तंभ 5 से स्तंभ 14", के स्थान पर शब्द और अंक "स्तंभ 5 से स्तंभ 13" रखा जाएगा;

(iii) अनुसूची के स्थान पर निम्न अनुसूची रखी जाएगी :—

"अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संपदा पर्यवेक्षक	*2 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्ति और सशस्त्र बल के पुनर्नियोजित कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बल के कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :

I. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत या सांविधिक या अर्द्ध सरकारी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :–

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन;

(ii) स्वच्छता या लोक स्वच्छता में डिप्लोमा या सिविल या विद्युत इंजीनियरिंग में किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से डिप्लोमा या समतुल्य; और

(iii) शासकी भवनों के अनुरक्षण और रख रखाव में तीन वर्ष का अनुभव

II. वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. में छह वर्ष की सेवा रखने वाले विभागीय केयर टेकरों पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार

(11)

किया जाएगा और पद पर नियुक्ति के लिए चयन की दशा में उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए:–प्रतिनियुक्ति या प्रोन्नति : जूनियर कमीशंड ऑफिसर या समतुल्य श्रेणी के ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जायेगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं जिनके पास प्रतिनियुक्त व्यक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से मुक्त किया जाना है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है । (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

टिप्पण 5 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1-1-2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया हैं और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (सशस्त्र बल कार्मिकों के पुनर्नियोजन की पुष्टि के संबंध में), निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— 1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।"

(12)	
2. अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग	—सदस्य
3. संयुक्त सचिव (परीक्षा)/संयुक्त सचिव (भर्ती), संघ लोक सेवा आयोग	—सदस्य

[फा. सं. 39021/10/2009-स्था. (बी)]

राकेश मोज़ा, अवर सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियमों को तारीख 6 जनवरी, 2001 सा.का.नि. 2 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 7th May, 2012

G.S.R. 109.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Union Public Service Commission Estate Supervisor Recruitment Rules, 2000, namely,—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Union Public Service Commission Estate Supervisor Recruitment (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Union Public Service Commission Estate Supervisor Recruitment Rules, 2000,—

(i) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—

"2. Number of post, classification and Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.";

(ii) in rule 3, for the words and figures "columns 5 to 14", the words and figures "column 5 to 13" shall be substituted;

(iii) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE

Name of the post	Number of post(s)	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Estate Supervisor	2* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300—34800 and Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees and Armed Forces Personnel re-employed.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
Promotion/deputation (including short term contract) For Armed Forces Personnel : deputation/re-employment	**Promotion/deputation (including short term contract) :** I. Officers of the Central Government or the State Government or Union Territories or Public Sector Undertakings or Universities or recognized Research Institutions or Autonomous or Statutory or Semi-Government Organizations : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-1 (Rs. 5200—20200) and Grade Pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:— (i) Matriculation from a recognized Board or University; (ii) Diploma in sanitary or public hygiene or diploma in civil or electrical engineering from a recognized institution or equivalent; and (iii) three years' experience in the upkeep and maintenance of office buildings. II. The Departmental Caretakers [in the Pay Band-1 (Rs. 5200—20200) and Grade Pay of Rs. 2800] with six years regular service shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **For Armed Forces Personnel:** Deputation or Re-employment: The Armed Forces Personnel of the rank of Junior Commissioned Officer or equivalent, who are due to retire or to be transferred to reserve within a period of one year and possessing qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered and if selected, such officers shall be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces. Thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (re-employment upto the age of superannuation with reference to civil posts). **Note 1 :** The departmental officer in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment on promotion. **Note 2 :** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

1639 GI/12-2

(11)
Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications. Note 4 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission. Note 5 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendation of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of Armed Forces Personnel Re-employed) consisting of :— 1. Secretary, Union Public Service Commission —Chairman 2. Additional Secretary Union Public Service Commission —Member 3. Joint Secretary (Examination)/Joint Secretary (Recruitment) Union Public Service Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary."

[F. No. 39021/10/2009-Estt. (B)]

RAKESH MOZA, Under Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 2, dated 6th January, 2011.

नई दिल्ली, 7 मई, 2012

सा.का.नि. 110.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संघ लोक सेवा आयोग संपदा प्रबंधक और मीटिंग अधिकारी भर्ती नियम, 2001 में,—

(i) नियम 2 में "वेतनमान" शब्दों के स्थान पर "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्द रखे जाएंगे;